

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

प्रशासन गांधी के संग अभियान-2021

र व  
गम  
की  
जा

जमा संख्या :- 72/2024 प्रथम

1. महेन्द्रलाल शो पन्ना गुर्जर के गुर्जरखेड़ा (बेकाली) तहसील  
प्रार्थी.....

बनाम

1. महेन्द्रलाल शो जौ नल मलार्जि के बेकाली- तहसील - काठ  
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 27/10/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम बेकाली पटवार हल्का बेकाली तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त तों की खाता संख्या 21 आराजी नम्बर 280 287 288 290 291 292  
0.2276/0.2282/0.2403/0.0026/0.0265/0.5691

कुल किता 6 रकबा 1.4543

टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की मे की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27/10/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को ग्लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी राने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी ने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....  
बेकाली पटवार हल्का बेकाली तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या  
आराजी नम्बर 280 287 288 290 291 292  
0.2276/0.2282/0.2403/0.0026/0.0265/0.5691

कुल किता 6 रकबा 1.4543

हैक्टैयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-भेलेख निरीक्षक बेकाली को 650/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया ता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की जूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

लग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

तेलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा